भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2785

<u>दिनांक 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

सेब पर आयात शुल्क

2785. श्री सुरेश कश्यपः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिमला में सेब उत्पादकों को हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सेब पर आयात शुल्क बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी पेय पदार्थों में 5 प्रतिशत सेब का रस मिलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): ताजा सेब पर मूल सीमा शुल्क 50 प्रतिशत है। हाल ही में, ताजा सेब पर सर्वाधिक कृपापात्र राष्ट्र (एमएफएन) शुल्क दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, जून, 2019 में सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्गम होने वाले या निर्यात किए गए माल पर 20 प्रतिशत (एमएफएन दर से अधिक) का अतिरिक्त शुल्क लगाया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। सभी पेय पदार्थों में 5 प्रतिशत सेब का रस मिलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****